BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 17 नवम्बर 2022

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर हत्या के प्रयास के आरोपी को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 11,500/- हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त सोनू पुत्र इबनेहसन निवासी ग्राम सांखनी थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2008 में वादी नवी हसन के परिजनों को जान से मारने की नियत से चाकू से चोट पहुंचकर गम्भीर रुप से घायल करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना जहांगीराबाद पर मुअसं- 333/08 धारा-452,323,324,307,504 भादवि पंजीकृत है। इस अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिन्हित करते हुए अभियोग में मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 17.11.22 को मा0 न्यायालय एफटीसी-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर **अभियुक्त सोनू को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 11,500/- हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक श्री सुरेन्द्र पाल व श्री अजीत कुमार सक्सैना का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर